

2021/125
 अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 62/2021

तारीखरजू:- 29-6-21

उनवान:- चौथी बनाम धनफूल

दावा वावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

फर्द अहकाम

दिनांक

6-21

वादी की ओर से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा राज०टी०एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 23 .07. 2021 को पेश हो।

3175-77
 29/6/21



(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम जिला करौली

22.7.21

वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब करने एवं पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से मुकदमा झोटे चलाना नहीं चाहते हुए खारिज करने प्रस्तुत किया। पत्रावली तलब की गई। वादी एवं वादी वकील ने Not-Press कर मुकदमा खारिज करने का कथन कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंकल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिवाला दफ्तर हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करौली

चौथी

Not-press
 (2) 29-6-21